प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिलाः–ए.सी.बी. चौकी कोटा देहात थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
   प्र0सू0रि0संख्या .....127/2022 दिनांक.....12/4/2022
2. (1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा–07
   (2) अधिनियम– भारतीय दण्ड सहिंता .....धारा –
   (3) अधिनियम.....धारायें –.....
   (4) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....218.....समय.....4:15 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन ... बृहस्पतिवार....दिनांक....03.02.2022 ...समय 02:06 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 30.01.2022 समय 12.20 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थलः– पटवार घर रेल्वे कॉलोनी, बांदीकुई, दौसा

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब उत्तर व 307 कि.मी.

(ब) पताः– पटवार घर रेल्वे कॉलोनी, बांदीकुई, दौसा

जरायम देही संख्या.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना –

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नामः– श्री राधाकिशन सैनी

(ब)पिता का नाम – श्री भौरी लाल सैनी

(स) जन्म तिथी/वर्ष..... उम्र 37 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथी.....

जारी होने की जगह.....

(र) व्यवसाय–व्यवसाय

(ल) पता – ग्राम नन्देरा, जिला दौसा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–

(1) श्री राकेश कुमार मीना पुत्र श्री खिलाडी मीना ग्राम व पोस्ट ढेर की ढाणी, अलीपुर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा हाल पटवारी, पटवार हल्का ग्राम नंदेरा, तहसील बसवा, जिला दौसा

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–..... शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....13,000/– रूपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.01.2022 को समय 12:20 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी पुत्र श्री भौरीलाल सैनी उम्र 37 साल, ग्राम नन्देरा, तहसील बसवा थाना बांदीकुई जिला दौसा मोबाईल नं. 9602114673 ने मन् उप अधीक्षक को जयपुर कैम्प के दौरान अजमेर रोड डी.सी.एम. पर उपस्थित होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं राधाकिशन सैनी पुत्र श्री भौरी लाल सैनी, उम्र 37 साल, ग्राम नंदेरा तहसील बसवा, थाना बांदीकुई, जिला दौसा का निवासी हूं मेरी माता श्रीमति फूलीदेवी द्वारा दिनांक 13.01.2022 को उप तहसील बांदीकुई में मृतक कान्या पुत्र छाज्या माली निवासी पंडितपुरा के वारीसान से 11 एयर जमीन जर्ये रजिस्ट्री खरीद की है। पटवारी हल्का नंदेरा श्री राकेश मीणा द्वारा रजिस्ट्री से पूर्व रजिस्ट्री के नाम पर मेरे से कुल 23,000 रु की रिश्वत् के तौर पर मांग की थी और कहा कि आपकी माता के नाम रजिस्ट्री और जमीन का नामांतकरण करवा दूंगा। इन रुपयों में से नायब तहसीलदार बांदीकुई व उपतहसील के बाबुओं को रिश्वत् दूंगा। उप तहसीलदार का रजिस्ट्री में कमीशन बनता है। वो तो देना ही पडेगा। मैने रिश्वत देने में आनाकानी की तो पटवारी ने कहा कि बिना रिश्वत् के रजिस्ट्री नही होगी। तुम ऐसा करो कि 10,000 रुपये पहले दे दो और बाकी के 13,000 रुपये रजिस्ट्री के बाद दे देना। उक्त खसरा नं. 661, गांव नंदेरा की भूमि में रजिस्ट्री कराने

हेतु मैने 10,000 रुपये पटवारी राकेश मीणा पूर्व में दे दिए और रजिस्ट्री मेरी माता के नाम हो गई। कल दिनांक 29.01.2022 को मैं पटवारी हल्का राकेश मीणा से उक्त जमीन के नामांतकरण के लिए मिला तो पटवारी ने धोलीगुटी पर मेरे से कहा कि पहले तुम बकाया राशि 13,000 मुझे दो क्योकि मुझे ये रुपये नायब तहसीलदार को देने हैं। मैने जब उससे इस सम्बंध में कहा कि रजिस्ट्री तो हो चुकी है, आप तो हमारा नामांतकरण कर दो तो पटवारी नही माना और 13,000 रुपये रिश्वत की मांग की। मैं पटवारी राकेश मीणा को रिश्वत नही देना चाहता हूं, उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी उससे कोई पुरानी रंजिश नही है और ना ही कोई पुराना उधार का लेनदेन बकाया है। मेरे से अब पटवारी जब भी फोन कर या बुलाकर रिश्वत राशि 13,000 की मांग करेगा तो मैं आपको फोन कर बता दुंगा। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करे, जिससे हमे न्याय मिल सके। प्रार्थना पत्र मजमून व मजीद दरयाफ्त पर मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को कार्यवाही हेतु कोटा चलने बाबत कहा तो परिवादी ने कोटा जाने में असमर्थता जाहिर की व बताया कि श्री राकेश मीणा पटवारी जब मुझे बुलायेगा या फोन करेगा तो मैं आपको जर्ये मोबाईल सूचित कर दूंगा। प्रार्थना पत्र के सलंग्न जमाबंदी व मृतक कानाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां शामिल की। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जर्ये मोबाईल श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक कोटा देहात (भ्र.नि.ब्यूरो) डॉ. प्रेरणा शेखावत को हालात से अवगत कराया तो उनके द्वारा कोटा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिए गये। दिनांक 31.01.2022 को समय 11.00 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उपस्थित कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात होकर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी निवासी नन्देरा जिला दौसा का दिनांक 30.01.2022 का पेशशुदा प्रार्थना पत्र श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक कोटा देहात डॉ0 प्रेरणा शेखावत के समक्ष पेश किया, जिनके द्वारा बाद अवलोकन प्रार्थना–पत्र मन उप अधीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। दिनांक 12.02.2022 समय 02.40 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को मोबाईल नम्बर 9602114673 से फोन कर अवगत कराया कि अभी मुझे पटवारी राकेश मीणा ने नहीं बुलाया है। जैसे ही राकेश मीणा मुझे बुलायेगा मैं आपको फोन पर सूचित कर दूंगा। दिनांक 02.03.2022 को मन उप अधीक्षक पुलिस दीगर प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति बाबत विचार विमर्श हेतु जयपुर गया, जहां समय 11.38 ए.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी का मिस कॉल आने पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के मोबाईल नम्बर 9602114673 पर कॉल किया तो परिवादी श्री राधाकिशन सैनी ने अवगत कराया कि श्री राकेश मीणा पटवारी ने मेरे फोन पर फोन कर मुझे कल बुलाया है। मैं उससे कल मिलने जाउंगा तो वह मुझसे पैसे की बात जरुर करेगा। परिवादी के कहेनुसार कल रिश्वत मांग का सत्यापन होने की पूर्ण संभावना है, अतः श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा देहात को हालात निवेदन किए गए तथा श्री नरेश कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर बांदीकुई भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। श्री नरेश कानि. को परिवादी श्री राधाकिशन सैनी के मोबाईल नं. 9602114673 देकर बांदीकुई पहुँचकर परिवादी से मिलने व परिवादी के बताये अनुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु समझाईश की गई। दिनांक 03.03.2022 को समय 10:24 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री राधाकिशन सैनी से जरिये मोबाईल वार्ता कर आरोपी श्री राकेश मीणा से अपने कार्य व रिश्वत राशि के बारे में स्पष्ट वार्ता करने तथा वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश की गई तथा श्री नरेश कानि. 144 को परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने, बंद करना तथा यथासंभव निकट रहकर वार्ता की निगरानी करने की समझाईश गई। दिनांक 03.03.2022 समय 01:11 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9414007788 पर श्री नरेश कानि. 144 ने बताया कि मैने 10 मिनट पहले परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर आरोपी के पास भेज दिया है। समय 02:06 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9414007788 पर श्री नरेश कानि. 144 ने अपने मोबाईल से कॉल कर बताया कि परिवादी आरोपी से वार्ता कर वापस आ गया है। समय 02:33 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9414007788 पर श्री नरेश कानि. 144 के मोबाईल नम्बर से कॉल कर परिवादी ने बताया कि मेरी व राकेश मीणा पटवारी की वार्ता हुई है परिवादी के बताये अनुसार आरोपी ने 13,000 रिश्वत की मांग की है। इस पर परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि एवं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर श्री नरेश कानि. के साथ कोटा आने की समझाईश की गई। चूंकि परिवादी द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन होने की पुष्टि की गई एवं परिवादी के बताये अनुसार आरोपी ने दिनांक 04.03.2022 को रिश्वत राशि लेकर

बुलाया है। अतः ट्रेप कार्यवाही की पूर्ण सम्भावना होने से स्वतंत्र गवाहान की तलबी आवश्यक होने से समय 04.30 पी.एम. पर श्री विशेष कुमार कानि0 चालक को आयुक्त नगर निगम, कोटा उत्तर के नाम तहरीर देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में लेकर आने हेतु रवाना किया गया। समय 05.30 पी.एम. पर श्री विशेष कुमार कानि0 चालक उक्त फिकरा का रवानाशुदा वापस आया और मन उप अधीक्षक पुलिस को नगर निगम कोटा उत्तर का पत्रांक 13723 दिनांक 03.03.2022 पेश कर बताया कि पत्रानुसार दो स्वतंत्र गवाह श्री रणजीत कुमार, कनिष्ठ सहायक व श्री रामचन्द्र जेठी, कनिष्ठ सहायक अपने साथ लेकर उपस्थित आया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित दोनों गवाहान को स्वयं का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया। चूंकि परिवादी कल सुबह कोटा पहुँचेगा, अतः दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर कल दिनांक 04.03.2022 को समय 07.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु रवाना किया गया। दिनांक 04.03.2022 समय 6.10 ए.एम.पर श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक को प्राईवेट वाहन में जगह कम होने के कारण मुनासिब हिदायत कर बांदीकुई, जिला दौसा रवाना किया गया। समय 07.30 ए.एम. पर पूर्व के तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रणजीत कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामचन्द्र जेठी कनिष्ठ सहायक व एसीबी जाब्ता उपस्थित कार्यालय आये। समय 7.35 ए.एम. पर पूर्व का तलविदा परिवादी श्री राधाकिशन सैनी मय श्री नरेश यादव कानि. के उपस्थित कार्यालय आए। श्री नरेश कानि. ने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया। परिवादी ने बताया कि कल मेरी पटवारी राकेश मीणा से पटवार घर रेल्वे कॉलोनी, बांदीकुई पर बात हो गई थी। आरोपी पटवारी ने मृतक कान्याराम माली की संतानो मोहन, मृतक गोपाल, बाबूलाल, भोलूरा तथा रामसिंह से मेरी माताजी श्रीमति फूलीदेवी के नाम कराई गई रजिस्ट्री के लिए 13,000 रूपये बतौर रिश्वत मुझसे मांगे है तथा मैने कहा कि 10,000 रु तो मैं आपको इस काम के दे ही चुका हूं, इस पर राकेश मीणा पटवारी ने कहा कि वो 10,000 तो मैने बाबुओं को दे दिए और बाकी 10,000 रु मैने मेरी जेब से नायब तहसीलदार साहब बांदीकुई को दिए है। नायब तहसीलदार साहब बिना मौका देखे रजिस्ट्री नही करते वो तो उन्होने मेरी वजह से बिना मौका देखे साईन कर दिए तो वो 10,000 रु तथा मेरे 3,000 रु तो मैं आपसे लूंगा ही। आरोपी ने मुझसे कहा कि मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि आप सरपंच साहब से मिलो पर आप सरपंच साहब से भी नही मिल रहे हो। आरोपी ने उसी समय 13,000 रूपये देने के लिए कहा इस पर मैने कहा कि मैं पहले सरपंच साहब से मिलूंगा उसके बाद 13,000 रुपये तो मुझे आपको देने ही है, पूर्व में राकेश मीणा पटवारी मुझसे 10,000 रु ले चुके हैं। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुना गया तो परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि हुई। समयाभाव होने से व बांदीकुई, जिला दौसा जाने में समय लगने के कारण रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बाद में मुर्तिब की गई। कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिवादी का परिचय करवाया गया तथा दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.40 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि को पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री राधाकिशन सैनी ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 26 नोट कुल 13,000 रूपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किए श्रीमती मंजू महिला कानि. 384 के द्वारा मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया। गवाह श्री रामचन्द्र जेठी से परिवादी श्री राधाकिशन सैनी की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को श्रीमती मंजू महिला कानि. 384 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये गये। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती मंजू महिला कानि. 384 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से

हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर या मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी जरिये श्रीमती मंजू महिला कानि. 384 के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटों पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्रीमती मंजू महिला कानि. 384 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम मे आने वाले कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी पहनी हुई पेंट की साईड की बायीं जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। समय 09.25 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री राधाकिशन सैनी, मय जाप्ता श्री असलम खान हैड कानि, 124, श्री पवन कुमार कानि0, श्री नरेश यादव कानि0 मय लैपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स मय प्राईवेट वाहन चालक के बांदीकुई, जिला दौसा हेतु रवाना हुआ। समय 02.45 पी.एम.पर मन उपअधीक्षक पूर्व का रवानाशुदा मय जाप्ता मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान सिकंदरा रोड, बांदीकुई पहुंचा जहां परिवादी श्री राधाकिशन सैनी को अपने परिचित से मोटर साईकिल लाने हेतु रवाना किया। समय 02.48 पी.एम. पर पूर्व का रवानाशुदा परिवादी श्री राधाकिशन सैनी मय मोटर साईकिल स्पलेण्डर उपस्थित आया। जिसके साथ श्री नरेश कुमार कानि. को मोटर साईकिल पर रेल्वे स्टेशन बांदीकुई, दौसा रवाना किया तथा पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय प्राईवेट वाहन रेल्वे स्टेशन बांदीकुई, दौसा के लिए रवाना हुआ। समय 2.55 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय प्राईवेट वाहन तथा मोटर साईकिल से परिवादी एवं श्री नरेश कानि. रेल्वे स्टेशन बांदीकुई के सामने पहुंचे, जहां श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक पूर्व के रवानाशुदा उपस्थित मिला। समय 02.58 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व एसीबी जाब्ता पटवार घर, रेल्वे कॉलोनी, बांदीकुई से कुछ दूरी पर पहुँचे। जहॉ परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी के पटवार घर, रेल्वे कॉलोनी, बांदीकुई के लिए रवाना किया। श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक व जाब्ता व दोनों स्वतंत्र गवाहान को पटवार घर के आस–पास उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु निर्देशित किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी से दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे–पीछे पटवार घर से कुछ दूरी पर खडा होकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगा। समय 03.05 पी.एम. पर पूर्व का रवानाशुदा परिवादी श्री राधाकिशन सैनी, वापिस आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बंद किया गया। परिवादी ने बताया कि पटवार घर पर तो ताला लगा हुआ है तथा आरोपी पटवारी श्री राकेश मीणा वहां पर उपस्थित नही है। समय 03.07 पी.एम. पर श्री नरेश कुमार कानि. तथा परिवादी को मोटर साईकिल पर कुछ दूरी पर स्थित गोपनीय स्थान पर चलने के लिए रवाना किया तथा पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान प्राईवेट वाहन से गोपनीय स्थान के लिए रवाना हुआ। समय 03.10 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान कुछ दूर स्थित गोपनीय स्थान पर पर पहुंचा, जहां परिवादी व श्री नरेश कानि. भी उपस्थित मिले, समय 03.27 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी ने बताया कि मैं जयपुर से अक्सर इसी समय जर्ये ट्रेन बांदीकुई आता हूं। अतः परिवादी के मोबाईल नं. 9602114673 से आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी के मोबोईल नं. 9414594562 पर दो बार कॉल करवाया गया तो आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी द्वारा घण्टी बजने के बावजूद कॉल रिसीव नही किया गया। समय 03.35 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी ने बताया कि आरापी श्री राकेश मीणा पटवारी तथा अन्य पटवारी गोपाल बगीची सैनी कॉलेज के पास बने दडगस काम्पलैक्स में भी बैठते हैं, हो सकता है राकेश मीणा पटवारी भी पर वही पर बैठा हो।

अतः मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी तथा श्री नरेश कानि. को मुनासिब हिदायत कर मोटर साईकिल से दडगस काम्पलैक्स के लिए रवाना किया तथा हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर प्राईवेट वाहन से पीछे–पीछे दडगस कॉम्पलेक्स के लिए रवाना हुआ। दडगस काम्पलेक्स से कुछ दूर पहले अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ। समय 04.05 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी तथा श्री नरेश कानि. मन् उप अधीक्षक के पास उपस्थित आए तथा बताया कि आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी दडगस काम्पलैक्स पर उपस्थित नही है तथा मैने उक्त काम्पलेक्स के मालिक से आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रेल्वे कॉलोनी स्थित पटवार घर पर होंगे। इस पर मैने कहा कि मैं वही से आ रहा हूं वहां तो नही है, तब उन्होने आरोपी पटवारी को फोन कर पूछा कि पटवारी जी कहां हो तो आरोपी पटवारी ने विवाह कार्यक्रम में रिश्तेदारी में कहीं बाहर होना बताया और आज बांदीकुई नही आना बताया। समय 04.10 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी तथा श्री नरेश कानि. को मुनासिब हिदायत कर मोटर साईकिल से सिंकदरा रोड पर गोपनीय स्थान पर चलने के लिए रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान पीछे–पीछे प्राईवेट वाहन से सिकंदरा रोड पर गोपनीय स्थान के लिए रवाना हुआ। समय 4.20 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान सिकंदरा रोड पर गोपनीय स्थान पर पहुंचा, जहां परिवादी तथा श्री नरेश कानि. उपस्थित मिले। समय 04.52 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी के मोबाईल नं. 9602114673 से आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी के मोबोईल नं. 9414594562 पर पुनः एक बार कॉल करवाया तो आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी द्वारा घण्टी बजने के बावजूद कॉल रिसीव नही किया गया। समय 05.15 पी.एम. पर चूंकि आरोपी पटवारी पटवार घर में नही है तथा अन्य बैठने के स्थान पर भी नही मिला तथा रिश्तेदारी में शादी में बांदीकुई से बाहर जाने की जानकारी मिली है, जिसके आज बांदीकुई में आने की संभावना नही है। आरोपी पटवारी द्वारा भी परिवादी श्री राधाकिशन सैनी के मोबाईल पर बैक कॉल नही किया गया है। संभवतः आरोपी किसी विवाह कार्यक्रम में होने से परिवादी को कॉल नही कर रहा है। तत्पश्चात् परिवादी श्री राधाकिशन सैनी से रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री रामचंद्र जेठी को दिलवाई जाकर गवाह की जेब में सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि जब भी आरोपी पटवारी का फोन आए और वह बुलाए तो तुरंत मन उपअधीक्षक को जर्ये मोबाईल सूचित करे। परिवादी को कल दिनांक 05.03.2022 को समय 2.00 पी.एम. पर कोटा एसीबी कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत कर उसके घर जाने हेतु रवाना किया गया। मन् उपअधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के प्राईवेट वाहन से कोटा के लिए रवाना हुआ। समय 11.00 पी.एम.पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के कार्या. भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात पहुँचा। जहॉ रिश्वरी राशि को स्वतंत्र गवाह श्री रामचंद जेठी से लेकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाई गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखवाया गया। दोनों गवाहान को मामले की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर दिनाक 05.03.2022 को 2.00 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 05.03.2022 को समय 2.00 पी.एम. पर पूर्व का तलविदा परिवादी श्री राधाकिशन सैनी उपस्थित कार्यालय आया। समय 02.15 पी.एम. पर पूर्व के तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रणजीत कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामचन्द्र जेठी कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। समय 2.20 पी.एम.पर कार्यालय की आलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखवाए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकाला जाकर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान हैड कानि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी राकेश मीणा पटवारी की होना पहचान की। रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 7.20 पी.एम. पर चूंकि वक्त रात्रि हो चुका है, अतः पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को आलमारी में सुरक्षित रखवाया जाकर ताला लगाकर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रणजीत कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामचन्द्र जेठी कनिष्ठ सहायक को मामले की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर मन् उपअधीक्षक के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 06.03.2022 को समय 3.00 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 06.03.2022 समय 03.00 पी.एम. पर पूर्व के तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रणजीत कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामचन्द्र जेठी कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री राधाकिशन सैनी उपस्थित कार्यालय आये। समय 3.30 पी.एम. पर कार्यालय की आलमारी में से सुरक्षित रखवाए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बाहर निकाला जाकर दिनांक 03.03.2022 को परिवादी श्री राधाकिशन सैनी व आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को 4 सी.डी. में श्री असलम खान हैड कानि0 124 द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में डब करवाया गया। प्रत्येक सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी. बतौर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए, एक सीडी आरोपी के लिए तथा एक सीडी नमूना आवाज एफ.एस.एल. जॉच के लिए पृथक–पृथक कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैलियों पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड चिट किया गया। एक सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिये अनशील्ड रखी गई। शील्डशुदा सीडियों को कब्जे एसीबी लिया गया। कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 5.15 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी को समझाईश की गई कि जब भी आरोपी पटवारी रिश्वत राशि के बारे फोन करे या बुलाए तो तुरंत मन उप अधीक्षक को जर्ये मोबाईल अवगत कराए जिससे अविलम्ब कार्यवाही की जा सके। परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रणजीत कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामचन्द्र जेठी कनिष्ठ सहायक को मामले की गोपनीयता बनाए रखने तथा जब भी बुलाए उपस्थित होने की हिदायत कर सकुशल रवाना किया गया।

दिनांक 24.03.2022 को समय 6.00 पी.एम. पर परिवादी श्री राधाकिशन सैनी तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आए। परिवादी श्री राधाकिशन सैनी ने एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया कि दिनांक 03.03.2022 के बाद आरोपी राकेश मीणा पटवारी ने न तो मुझसे मिलकर, न ही फोन करके रिश्वत राशि की मांग की है, ना ही मेरा फोट अटेंड कर रहा है, ऐसा लगता है कि राजेश मीणा पटवारी को मुझ पर शक हो गया है। अब वह मुझसे रिश्वत की राशि नही लेगा। मेरी रिश्वती राशि मुझे देने की कृपा करें। प्राप्त प्रार्थना–पत्र शामिल कार्यवाही किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढवाया गया, जिन्होने प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। पेश प्रार्थना पत्र से आरोपी राकेश मीणा पटवारी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की संभावना नही है। परिवादी श्री राधाकिशन सैनी पुत्र श्री भौरीलाल जाति माली उम्र 37 साल निवासी ग्राम नन्देरा, जिला दौसा द्वारा पेशकशी दिनांक 04.03.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात को सुपुर्द किये गये फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 13,000 रूपये के नोटों को मालखाने से निकलवाकर नियमानुसार परिवादी श्री राधाकिशन सैनी को लौटाया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी रिश्वती राशि नियमानुसार तैयार कर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व गवाहान को रूकसत किया गया।

प्रकरण के समस्त हालात से पाया गया कि परिवादी श्री राधाकिशन सैनी की माता श्रीमति फूलीदेवी द्वारा दिनांक 13.01.2022 को उप तहसील बांदीकुई में मृतक कान्या पुत्र छाज्या माली निवासी पंडितपुरा के वारीसान से 11 एयर जमीन जर्ये रजिस्ट्री खरीद की थी। पटवारी हल्का नंदेरा श्री राकेश मीणा द्वारा रजिस्ट्री से पूर्व रजिस्ट्री के नाम पर परिवादी से कुल 23,000 रु की रिश्वत् के तौर पर मांग की गई और कहा कि आपकी माता के नाम रजिस्ट्री और जमीन का नामांतकरण करवा दूंगा। इन रुपयों में से नायब तहसीलदार बांदीकुई व उपतहसील के बाबुओं को रिश्वत् दूंगा। उप तहसीलदार का रजिस्ट्री में कमीशन बनता है। वो तो देना ही पडेगा। परिवादी ने रिश्वत देने में आनाकानी की तो पटवारी ने कहा कि बिना रिश्वत् के रजिस्ट्री नही होगी। रिश्वत संबंधित शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 30.01.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस के जयपुर कैम्प के दौरान उपस्थित होकर की गई, जिसमें श्री राकेश मीणा पटवारी द्वारा परिवादी से 10,000 रु रिश्वत पूर्व में प्राप्त करना तथा 13,000 रू और रिश्वत की मांग करना परिवादी द्वारा अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन दिनांक 03.02.2022 को करवाया गया, जिसमें आरोपी राकेश मीणा द्वारा 13,000 रु रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टि हुई।

दिनांक 03.02.2022 को परिवादी श्री राधाकिशन सैनी व आरोपी राकेश मीणा पटवारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी कहता है कि "तेरह हजार मेरे को देने थे, दस हजार रुपये मैने दिए , परसों के दिन छुट्टी थी, परसो के दिन आ गया अधिकारी क्यो रिलीव हो गया सोमवार को, राकेश क्या हुआ वो, मैने की साब आंगा तो दू दूंगा नही तो मै तो जीरो, मै भुगत बैठा ..... आरोपी आगे कहता है.. हां दे दो, यही दे दो ..... ना मेरी बात सुनो मैने दस दे दिए, मैं तो उसमें से एक पाई भी नही छोडूंगा, तीन हजार रुपये आपको देने है तो दे जाओ, काय के अधिकारी के है मांगेगा तो मैं कह दूंगा नही दिए मेरे को तो परसो के दिन आया था मेरे पास, मैने साफ मना कर दिया मैन का साब मेरे पास मैने दस हजार रुपये दे दिए वो दे दिए वो आपने कह दिया था मैं दो चार–दिन में आउंगा इस वजह से और मैं तो एक रुपयो भी को देतो ..... परिवादी कहता है "वों बाबुओं के" इस पर आरोपी कहता है दे दिए ना बाबुओं के सहित ही बताए थे मैने, सात तो वो, पांच वो पेंडिग थे, एक उसको दे दिए, दो की जगह, मान

लिया ठीक है, दे दिए जो दे दिए इस पर परिवादी कहता है "तो अब आपको टोटल पन्द्रह दूं " इस पर आरोपी कहता है कि "तेहर" आगे परिवादी कहता है "कौनसा ई तेरह हजार रुपये का इनका मैं अभी कर दूंगा" इस पर आरोपी कहता है "कब कर दोगे मैं मेरी जेब से देकर बैठा हूं वो तो दे मेरे भाई" आगे परिवादी कहता है "तो दे दूंगा इनको भी तेरह हजार रुपये भी दे दूंगा" इस पर आरोपी कहता है " कहां दे देगा, 3–3 महीने होते हैं क्या? 2–2 महीने हो गए यार ..... आगे आरोपी कहता है " जो बनता है वो तो लेंगे अधिकारी, अब करा रजिस्ट्री तब पता लगेगा, मेरे से उसी दिन मना कर देता तो मैं रजिस्ट्री की मना कर देता साहब मत करना उसको " इत्यादि, जिससे आरोपी राकेश मीणा पटवारी द्वारा रिश्वत् मांग करना "फर्द ट्रांस्क्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट है।

दिनांक 04.03.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी राकेश मीणा पटवारी रेल्वे कॉलोनी पटवार घर पर उपस्थित नही मिला, इस पर परिवादी से आरोपी राकेश मीणा पटवारी के मोबाईल पर परिवादी के फोन से कॉल करवाया तो आरोपी द्वारा परिवादी का कॉल अटेण्ड नही किया गया। किसी तरह आरोपी राकेश मीणा पटवारी को शक होने से परिवादी से बात नही की गई न ही रिश्वत राशि प्राप्त की गई। इस कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी।

इस प्रकार आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी, हल्का पटवार नंदेरा, तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा परिवादी श्री राधाकिशन सैनी की माता के नाम रजिस्ट्री और जमीन का नामांतरण करवाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की गई। आरोपी को किसी तरह शक हो जाने के कारण आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई। आरोपी श्री राकेश कुमार मीना हाल पटवारी, पटवार हल्का ग्राम नंदेरा, तहसील बसवा, जिला दौसा का उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से श्री राकेश कुमार मीना पुत्र श्री खिलाडी मीना ग्राम व पोस्ट ढेर की ढाणी, अलीपुर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा हाल पटवारी, पटवार हल्का ग्राम नंदेरा, तहसील बसवा, जिला दौसा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध कारित करना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(विजय सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राकेश कुमार मीना, पटवारी, पटवार हल्का नंदेरा, तहसील बसवा, जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 127/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-1124-28 दिनांक 12.04.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर दौसा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।